संख्या-70/2016-1414 ई-2/तेरह-2016-35/2013

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 30 नवम्बर,2016

विषय:- मे0 आर0एस0 हास्पिटेलिटी कानपुर के नजीराबाद स्थित रेस्टोरेन्ट द जाफरान (द यूनिट आफ आर0एस0 हास्पिटेलिटी) को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-212/बैठक कार्यवृत्त/बार समिति/16-17/का0न0, दिनांक 10 मई,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 10-05-2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-58/दस-लाइसेंस-26/खण्ड-4/एफ0एल0-6-7/ बार अनुज्ञापन/कानपुरनगर, दिनांक 09 जून,2016 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री आशीष सेठी पुत्र स्व0 पूरन प्रकाश सेठी, नि0 117/एच-1/342 माडल टाउन, थाना काकादेव, कानपुर नगर पार्टनर मे0 आर0एस0 हास्पिटेलिटी, कानपुर नगर के नाम नजीराबाद स्थित रेस्टोरेन्ट द जाफरान (द यूनिट आफ आर0एस0 हास्पिटेलिटी) में वर्ष 2016-17 के लिये एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-70/2016/1414(1) ई-2/तेरह-2016, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-58/दस-लाइसेंस-26/खण्ड-4/एफ0एल0-6-7/बार अनुज्ञापन/कानपुरनगर, दिनांक 09 जून,2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।